संख्या/No.-3/8/2021-उपनि(मध्योत्तर)/1202-1252

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय , राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS,
उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय
HINDI TEACHING SCHEME
हिंदी शिक्षण योजना

फोन नं: 26191572 (फैक्स)
26175246

पूर्वी खंड-7ए तल-6 ,
EAST BLOCK-7, LEVEL-6
रामकृष्णपुरम/R.K.PURAM,
नई दिल्ली /NEW DELHI-110066.
दिनांक /DATED: 18-11-2021

सेवा में

संपर्क अधिकारी (हिंदी)
कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी(राजभाषा)
भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,
दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जयपुर, देवली, जम्मू, चंडीगढ़।

विषय :- **हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जनवरी-मई, 2022 सत्र की ऑनलाइन/नियमित हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।**

महोदय/महोदया,

भारत के राष्ट्रपति महोदय के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, बैंकों इत्यादि के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

उक्त आदेश के अनुपालन में उप निदेशक (मध्योत्तर)का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र 03 जनवरी, 2022 **पूर्वाह्न 10.00 बजे से** प्रारम्भ होगा । कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में भरकर दो प्रतियों में इस कार्यालय में **31 दिसम्बर, 2021** तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें ।

कोविड-19 तथा गृह मंत्रालय के समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जनवरी-मई, 2022 सत्र की हिंदी कक्षाएं ऑनलाइन/ ऑफलाइन चलाई जाएंगी।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए :-

…………………/2-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों निगमों,निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं 03 जनवरी, 2022 से शुरु होंगी। परीक्षाएं मई, 2022 में आयोजित की जाएंगी)	जो अधिकारी/ कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय ज्ञापन सं0 21034/66/2011/2010 -राभा (प्रशिक्षण)दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे । इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है । इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे । मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं ।	-वही-	
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी तथा पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र है।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने एकांतर दिवस 1.30 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटा (कक्षाएं 03 जनवरी, 2022 से शुरु होंगी परीक्षाएं मई, 2022 में आयोजित की जाएंगी)	
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र .के उपक्रमों/सांविधिक निकायों / उद्यनों/अभिकरणों / निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं ।	पाठ्यक्रम की अवधि 05 महीने एकांतर दिवस 02 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा कक्षाएं 03 जनवरी से शुरु होंगी। परीक्षाएं मई 2022 में आयोजित की जाएंगी।	जो प्रशिक्षणार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय ज्ञापन सं0-21034/69/2008)/ रा0भा(प्रशि0)दिनांक 21.12.2020के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जागा। (कृपया अनु0 III देखें)

नोट:-

- जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर,रिकार्ड सॉर्टर, इलैक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेटनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है ।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत : स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती,परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशाप के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है,उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है ।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्र.) दिनांक 06 जनवरी, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है । अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके ता निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन जैसे नकद पुरस्कार वैयक्तिक वेतन आदि का लाभ मिल सके।

1. **प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण**

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित प्रणाली में भरा जाएगा। इसलिए सभी प्रशिक्षार्थियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भिजवाएं जिससे उनका विवरण सही-सही भरा जा सके।
- प्रशिक्षार्थियों का विवरण प्रशिक्षण प्रणाली में अपलोड करने के पश्चात तत्काल उप निदेशक (मध्योत्तर) को ई-मेल द्वारा सूचित करें। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण प्रणाली में अपलोड नहीं किया जा सकेगा।

2. **परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी नियम**

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मई, 2022 में आयोजित की जाएंगी ।
- नियमित व प्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक -II) में दिनांक 31.12.2021 तक उप निदेशक (मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए ।

3. **परीक्षा शुल्क**

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
- भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रु.100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।
- **पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है ।**

................../4-

4. <u>परीक्षा शुल्क का भुगतान</u>

- केंद्र सरकार के उपक्रमों, निगमों, बैंकों, सांविधिक निकायों के सभी नियमित व प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों के लिए रु0 100/- प्रति प्रशिक्षार्थी के लिए परीक्षा शुल्क देय होगा।
- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है ।
- परीक्षा शुल्क 'भारतीय स्टेट बैंक' की website - www.onlinesbi.com पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।

5. <u>पाठ्यपुस्तकें</u>

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

6. <u>वित्तीय प्रोत्साहन</u>

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है ।

- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है, जो उनके विभाग द्वारा दिया जाएगा।

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है ।

- प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का0ज्ञा0 सं0-21034/66/2010रा0भा0 (प्रशि0) दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें तथा पारंगत परीक्षा के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का0ज्ञा0 सं0-21034/69/2008-रा0भा0 (प्रशि0) दिनांक 21 दिसंबर 2020 (अनुलग्नक- III) देखें।

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
1.	प्रबोध	रू.400	रू. 800	रू.1600
2.	प्रवीण	रू.600	रू.1200	रू.1800
3.	प्राज्ञ	रू.800	रू.1600	रू.2400
4.	पारंगत	रू.4000	रू.7000	रू.10000

7. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों / कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है ।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं ।

8. नया केंद्र खोलना

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो वह हर कक्षा के लिए कम से कम 10 से 15 प्रशिक्षार्थियों को नामित करना सुनिश्चित करे। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 20.12.2021 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय रहते नियमानुसार कारंवाई की जा सके ।

9. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें। जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सराहनीय होगा।

- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।

- सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।

........................../6-

सभी विभागाध्यक्षों/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें साथ ही अपने कार्यालय का दूरभाष/ फैक्स नंबर एवं ई मेल का पता भी भेजें जिससे पत्राचार में सुविधा होगी ।

नए पाठ्यक्रम "पारंगत" को लागू किए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेशों के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in को देखने का कष्ट करें ।

भवदीया,

(कमलेश बजाज)
उप निदेशक(मध्योतर)

पृष्ठांकन सं. 3/8/2021-उ.नि.(मध्योत्तर)/ 1253 दिनांक : 18-11-2021

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,7वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना,7 वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) 2- ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।
5. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) आर. के. पुरम, नई दिल्ली ।
6. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू, चण्डीगढ़ तथा जयपुर तथा देवली राजस्थान ।
7. सहायक निदेशक (टंकण/आशु0), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,7वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
8. प्रभारी सहायक निदेशक अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण,केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2,ए पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली-11
9. प्रभारी सहायक निदेशक भाषा पत्राचार स्कंध केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए,पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली-11

18/11/2021

(कमलेश बजाज)
उप निदेशक(मध्योत्तर)

संपर्क सूत्र

<table>
<tr><td colspan="3">कार्यालय का पूरा पता :
उपनिदेशक(मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना
पूर्वी खंड-7, लेवल-6,
आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26175246, 26191572</td></tr>
<tr><td colspan="2">श्रीमती कमलेश बजाज
उप निदेशक (मध्योत्तर)
मो0- 9868833938
ई.मेल-ddhts-nc-dol@nic.</td><td>श्री जितेन्द्र कुमार सिंह
उप निदेशक
मो. 9560213089
फोन : 26176055
ई.मेल-chti1148@nic.in</td></tr>
<tr><td>हिंदी प्राध्यापक का नाम</td><td>मोबाइल नम्बर</td><td>ई.मेल</td></tr>
<tr><td>1. डॉ0 पी0वीराधिका (नई दिल्ली)</td><td>9444622262</td><td>chti1185@nic.in</td></tr>
<tr><td>2. श्रीमती नीपा शर्मा (नई दिल्ली)</td><td>9899989821</td><td>chti1227@nic.in</td></tr>
<tr><td>3. श्री आशाराम (नई दिल्ली)</td><td>9213107791</td><td>chti1256@nic.in</td></tr>
<tr><td>4.श्री राजकुमार बाल्मिकी (नई दिल्ली)</td><td>9971953257</td><td>chti1260@nic.in</td></tr>
<tr><td>5.श्रीमती सीमा रानी (नई दिल्ली)</td><td>9990197892</td><td>chti1267@nic.in</td></tr>
<tr><td>6. श्रीमती शोभा कुजूर (नई दिल्ली)</td><td>9840349234</td><td>chti1270@nic.in</td></tr>
<tr><td>7. श्रीमती सुनीता यादव (नई दिल्ली)</td><td></td><td>Chti1284-dol@gov.in</td></tr>
<tr><td>8.श्री राजेश कुमार मीना(जयपुर)</td><td>9460474143</td><td>chti1277@nic.in</td></tr>
<tr><td>9.श्री महेश चंद्र मीना (देवली,राज0)</td><td>09508155071</td><td>maheshgudli007@gmail.com</td></tr>
<tr><td>2. श्री कमलजीत (जम्मू)</td><td>6005284842</td><td>chti1253@nic.in</td></tr>
<tr><td>3. श्रीमती उर्मिला सैनी (चंडीगढ़)</td><td>8279230752</td><td>chti1278@nic.in</td></tr>
</table>

अनुलग्नक-1

नामन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

स्थान:

दिनांक

हस्ताक्षर ....

नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम..................................

कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर व ई मेल सहित..........................

(कार्यालय का मोहर)

(अनुलग्नक -II)

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली

प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम : (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत)

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of candidate (BLOCK LETTERS)
लिंग (स्त्री /पुरुष/ अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता /पति का नाम (हिंदी में):	Father's/ Husband name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में):	Designation:
मातृभाषा:	Mother tounge:
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi:
मंत्रालय (हिंदी में):	Name of Ministry:
विभाग का नाम (हिंदी में):	Name of Department:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम :	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ईमेल/आई0डी0/दूरभाष	Full office address With E.mail/ID/ phone:
परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण । Bank details of Examination Fees:	
दूरभाष: Phone/mobile	
ई-मेल/आई0डी0: E.mail./ Id of candidate	

नोट: कृपया प्रपत्र को द्विभाषिक रूप में भरें ।

दिनांक

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-II

सं.21034/89/2008-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय - वित्तीय वर्ष 2021-2022 में केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) संबंधी शर्तों के संबंध में।

केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "पारंगत" पाठ्यक्रम का व्यावहारिक प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से "पारंगत" पाठ्यक्रम को [illegible] लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण-परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है -

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर 4000/-रु.

(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर 7000/-रु.

(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000/-रु.

2. उपरोक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय भार को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ही वहन करना पड़ेगा।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 17.12.2020 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(2)/ई.समन्वय/2015 (1526020) के अनुसार जारी किया जा रहा है।

(आनंद कुमार)
निदेशक (प्रशि.)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न सूची के अनुसार)
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

......जारी